न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथ राम (आरटीएस)

मि.न015/2018

दिनांकः 2.5.18

सरकार बनाम लाली

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित।

सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कल्यांण पुरा कला ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम कल्यांण पुरा कलां तहसील कोटपूतली के ख0 न0 494/0.66 किस्म जमीन सिवाय चक में से 0.03 है भूमि पर लाली पत्नि रोहताश जाति गुजर्र निवासी कल्यांण पुरा कलां तहसील कोटपूतली ने बाडा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नही आये । अतः गैर सायल के विरूद एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना उचित है ।

अतःगैर सायल लाली पत्नि रोहताश जाति गुजर्र निवासी कल्यांण पुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम कल्यांण पुरा कलां **तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 494/0.66किस्म जमीन सिवाय चक मेंसे 0.03है पर अतिक्रमी घोषित करते** हुये उक्त आराजियात से गैरसायल लाली पत्नि रोहताश जाति गुजर्र निवासी कल्यांण पुरा को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी0.96 का पचास गुणा 48रू. अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निणर्य आज दिनाक 2.5.18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

[signature]

वर्ष 2018 .. 0..19.... के मा० सं० 4
के पृष्ठ संख्या 120 .. पर ...48..रु
रुपये कायम किये गये ।

[signature]
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली